यू० पी० बैंक इम्प्लाईज यूनियन

पंजीकरण संख्या–538
ए.आई.बी.ई.ए. से संबद्ध
केन्द्रीय कार्यालय : 106 / 107 द्वितीय तल, ब्लाक संख्या 26 / 2 / 4, संजय प्लेस, आगरा–282002
पत्र व्यवहार : 3 / 17, विभव नगर, आगरा–282 001, मो0: 09837472750
फोन / फैक्सः (नि0) 0562–4044383, **E-mail: mmrai_2509@yahoo.co.in & mmrai2509@gmail.com**

परिपत्र संख्या : 2016–19 / 116 / 2017 **दिनांक :** 21.12.2017

सभी प्रान्तीय पदाधिकारियों, कार्यकारिणी सदस्यों
जिला इकाईओं के मंत्रियों / अध्यक्षों हेतु

प्रिय साथियों,

27 दिसम्बर, 2017 की हड़ताल स्थगित

जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आईडीबीआई बैंक कर्मचारियों तथा अधिकारयों के 01.11.2012 से देय वेतन पुनरीक्षण के तत्काल समझौते की माँग करते हुए एआईबीईए–एआईबीओए द्वारा 27 दिसम्बर को अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया गया था। इस सम्बन्ध में कल दिनांक 20.12.2017 को मुख्य श्रमायुक्त द्वारा आयोजित बैठक में, वेतन पुनरीक्षण को एक माह के अंदर तय करने के आईडीबीआई बैंक प्रबन्धन के आश्वासन के आधार पर अखिल भारतीय हड़ताल को स्थगित कर दिया गया है। इस विषय में हम एआईबीईए तथा एआईबीओए द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 20.12.17 का अनूदित सार आपकी सूचना एवं संज्ञान हेतु नीचे प्रस्तुत कर रहे हैं।

अभिवादन सहित,
आपका साथी,

(मदन मोहन राय)
महामंत्री

प्रिय साथियों,

- **मुख्य श्रमायुक्त के साथ आज आयोजित बैठक में, आईडीबीआई बैंक प्रबन्धन ने एक माह के अंदर वेतन पुनरीक्षण मुद्दे को तय करने का आश्वासन दिया – इसलिए 27 दिसम्बर, 2017 की हमारी अखिल भारतीय हड़ताल स्थगित की गई**

27 दिसम्बर, 2017 को अखिल भारतीय हड़ताल के लिए हमारी तैयारियों के दौरान, प्रबन्धन को दिए गए हड़ताल के नोटिस के आधार पर, मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने आज दिल्ली में अपने कार्यालय में समझौता बैठक के लिए बुलाया।

श्री ए के नायक, मुख्य श्रम आयुक्त ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। प्रबन्धन का प्रतिनिधित्व श्री जी.ए. तदास, कार्यकारी निदेशक–मानव संसाधन तथा अन्य अधिकारियों द्वारा किया गया। आईबीए का प्रतिनिधित्व श्री अतुल गौतम, वरिष्ठ सलाहकार, आईबीए, श्री के.एस. चौहान, सलाहकार (मानव संसाधन–औद्योगिक सम्बन्ध) द्वारा किया गया। वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व श्री एस.आर. मेहर, उप सचिव तथा श्री मनीष कुमार, अवर सचिव द्वारा किया गया था। एआईबीईए का प्रतिनिधित्व साथी जे.पी. शर्मा, उपाध्यक्ष तथा साथी सी.एच. वेंकटचलम, महामंत्री द्वारा किया गया। एआईबीओए का प्रतिनिधित्व साथी एस एस सिसौदिया, चेयरमैन, साथी एस. नागराजन, महामंत्री तथा साथी संजय कुमार खान, मंत्री द्वारा किया गया। हमारे एआईआईडीबीईए तथा एआईआईडीबीआईओए का प्रतिनिधित्व उनके नेताओं साथी विठल कोटेश्वरा राव, साथी रत्नाकर वानखेड़े, साथी एस.ए. पराब, साथी के सत्यनारायणा, साथी ए.के रे तथा साथी के.आर सती द्वारा किया गया।

हमने मुद्दे और माँग को विस्तार से समझाया। हमने कहा कि जबकि वेतन पुनरीक्षण सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र में पूरा हो चुका है, केवल आईडीबीआई बैंक में, वेतन समझौते को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। उनका वेतन पुनरीक्षण

जारी पृष्ठ 2

नवम्बर, 2012 से देय है और दूसरा वेतन पुनरीक्षण नवम्बर, 2017 से देय है। लेकिन प्रबन्धन मुद्दे को अत्यधिक खींच रहा है।

प्रबन्धन ने कहा कि वे मुद्दे को हल करने के लिए यूनियनों के साथ समय–समय पर बातचीत कर रहे हैं लेकिन बैंक की वर्तमान वित्तीय स्थिति के कारण उनके प्रस्ताव में कठिनाईयां हैं।

हमने उत्तर दिया कि समझौता 01.11.2012 से देय है और उस समय आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी थी। केवल हाल की अवधि में, खराब ऋणों के कारण बैंक कुछ समस्याओं का सामना कर रहा है जिसके लिए कर्मचारियों को दंडित अथवा जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए।

हमने उद्योग स्तर समझौते के भाग के रूप में आईडीबीआई बैंक में वेतन पुनरीक्षण को शामिल करने के मामले को भी उठाया और 11वें द्विपक्षीय समझौते/अधिकारियों के वेतन पुनरीक्षण के अन्तर्गत कवरेज के लिए प्रबन्धन को इस सम्बन्ध में आईबीए को अपना अधिकार पत्र देना चाहिए। चर्चा के उपरांत, प्रबन्धन ने सकारात्मक उत्तर दिया और कहा कि इस सम्बन्ध में उनका निर्णय नवम्बर, 2012 की अवधि के लिए अंतिम रूप से तय किए जाने के लिए वेतन पुनरीक्षण समझौते में शामिल किया जाएगा।

पारस्परिक रूप से सहमति हुई कि आगामी समझौते में, वेतनमान, भत्तों और परिलब्धियों को वेतन/अधिवर्षिता लाभों की उचित सुरक्षा के साथ आईबीए पैटर्न पर इन्हें संरेखित करने के लिए योजना बनाई जाएगी और परिलब्धियां मौजूदा कर्मचारियों के नुकसान के लिए नहीं होंगी।

वेतन में वृद्धि पर, हमने कहा कि यह 10वें द्विपक्षीय समझौते के तहत आईबीए समझौते के समरूप होना चाहिए। प्रबन्धन ने सूचित किया कि यूनियनों की माँग तथा बैंक की वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस मामले को हल किया जाएगा।

बिना किसी देरी के समझौते को अंतिम रूप से तय करने की हमारी माँग पर, **प्रबन्धन ने आश्वासन दिया कि वे एक माह के अंदर प्रक्रिया पूरी करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेंगे।**

इन चर्चाओं और आश्वासनों के आधार पर, प्रबन्धन तथा आईबीए ने अनुरोध किया कि 27 दिसम्बर की प्रस्तावित हड़ताल वापस ले ली जाए। मुख्य श्रम आयुक्त ने भी अपील की।

हमारी ओर से, उपरोक्त प्रगति और प्रबन्धन के आश्वासन को ध्यान में रखते हुए, **हमने हड़ताल स्थगित करने के हमारे निर्णय को सूचित किया।**

मुख्य श्रम आयुक्त ने प्रबन्धन को सलाह दी कि सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौते को पूरा करने के लिए उपरोक्त तरीके से यूनियनों के साथ हुए विचार–विमर्श के साथ आगे बढ़ें और उन्हें रिपोर्ट करें।

साथियों, आईडीबीआई बैंक में हमारे सदस्यों के समर्थन में एआईबीईए तथा एआईबीओए के अन्तर्गत हमारी सम्पूर्ण सदस्यता की एकजुटता और हमारी हड़ताल का आह्वान मुद्दे को उचित संज्ञान और परिप्रेक्ष्य में लाया। हमें आशा तथा विश्वास है कि आईडीबीआई बैंक का प्रबन्धन अपने आश्वासन पर कायम रहेगा और सहमत समय–सीमा के अंदर सौहार्दपूर्ण ढंग से मामले को हल करेगा।

हम अपनी सभी इकाईओं तथा सदस्यों का उनकी एकजुटता के लिए धन्यवाद देते हैं जो एआईबीईए तथा एआईबीओए के ध्वज तले हमारे आन्दोलन की महत्वपूर्ण विशेषता तथा गौरव है।

अभिवादन सहित,

आपके साथी,

ह0..
सी.एच. वेंकटचलम्
महामंत्री
एआईबीईए

ह0..
एस. नागराजन
महामंत्री
एआईबीओए